जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर शहर में विद्युत आपूर्ति की शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए खण्ड स्तर पर शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था

जयपुर, 22 अगस्त। जयपुर शहर में मंगलवार देर रात को हुई तेज बारिश के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान सम्बन्धी शिकायतों के निदान के लिए विद्युत निगम द्वारा टोल फ्री नम्बर, कॉल सेन्टर, एस.एम.एस. द्वारा शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था के साथ ही नगर खण्ड शिकायत केन्द्रों पर भी शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था की है। इससे विद्युत उपभोक्ता एक सुविधा के दूरभाष नम्बर व्यस्त रहने पर अन्य नम्बरों पर अपनी शिकायत का पंजीयन करवा कर उसका शीघ्र निस्तारण करवा सकते हैं।

जयपुर नगर वृत के अधीक्षण अभियन्ता श्री एस.के.सौंखिया ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें टोल फ्री नम्बर 1800–180–6334, कार्यरत कॉल सेन्टर के फोन नम्बर 155333 एवं 2208999 पर एवं कॉल सेन्टर के नम्बर व्यस्त रहने पर एस.एम.एस. द्वारा भी अपने मोबाईल के मैसेज बाक्स में **PI** (पावर इंटरप्शन) लिखकर उपखण्ड का कोड एवं खाता संख्या टाईप कर इसे मोबाईल नम्बर 9413386400 अथवा 9413386401 पर भी भेज कर दर्ज करवा सकते है।

श्री सौंखिया ने बताया कि जयपुर शहर के विद्युत उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति में व्यवधान सम्बन्धी शिकायतें खण्ड स्तर पर निम्न टेलीफोन/मोबाईल नम्बरों पर सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

नगर खण्ड शिकायत केन्द्र	क्षेत्र	टेलीफोन न0	मोबाइल न0
नगर खण्ड–प्रथम	हसनपुरा, झोटवाड़ा, वैशाली नगर, चि्त्रकूट, निर्माण नगर, सिरसी, बिन्दायका, अम्बाबाड़ी, आरपीए एवं आसपास का क्षेत्र	2231770	9414029402
नगर खण्ड–द्वितीय	जेएलएन मार्ग एवं अजमेर रोड के बीच का क्षेत्र	2563181	9414029403
नगर खण्ड–तृतीय	रामनिवास बाग, रामगंज, तोपखाना चोकड़ी, जालूपुरा, एम.आई. रोड, बनीपार्क एवं आसपास का क्षेत्र	2571613	9414029405
नगर खण्ड–चतुर्थ	राजापार्क, जवाहरनगर, आदर्श नगर, मालवीय नगर, पुराना घाट, मोती डूंगरी रोड एवं आसपास का क्षेत्र	2612895	9414029406
नगर खण्ड–पंचम	गलता गेट से शास्त्री नगर उत्तर दिशा का क्षेत्र एवं आमेर	2618460	9414029407

नगर खण्ड–षष्ठम्	मानसरोवर, सांगानेर, प्रतापनगर, सीतापुरा, जगतपुरा	2797032	9414029409
नगर खण्ड–सप्तम्	वी.के.आई.ए., विद्याघर नगर, मुरलीपुरा, जोशी मार्ग, करधनी के आस पास का क्षेत्र	2232692	9414029410

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 339/2012